सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–वी0आई0पी0 23 /9–8–2012

प्रेषक

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ0प्र0 जल निगम,
उ0प्र0 लखनऊ।

3. **निदेशक,**
सी0एण्ड डी0एस0,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊः दिनांक 25 सितम्बर, 2012

विषयः मा0 उच्चतम/मा0 उच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिकाओं/रिट याचिकाओं में समयबद्ध रूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने एवं मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में समय से कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप अवमानना याचिका दायर होने की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/निर्देशों से आच्छादित प्रकरण, जिनमें अनुपालन हेतु समयावधि निर्धारित होती है, में विभागीय स्तर पर लम्बे समय तक बिना किसी कार्यवाही के लम्बित रहते है। इससे मा0 न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के स्वंय उपस्थित होने के आदेश पारित कर दिये जाते है तथा कतिपय मामलों में मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न होने की स्थिति में अधिकारियों के विरूद्ध मा0 न्यायालयों द्वारा अवमानना की नोटिस प्राप्त होती है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना अत्यन्त असंतोषजनक एवं आपत्तिजनक है।

G.O.-r

2. मा0 न्यायालय से आच्छादित प्रकरणों में उक्त स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक है कि मा0 न्यायालयों के आदेश प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम एक सप्ताह में प्रकरण का परीक्षण कर सक्षम स्तर पर आदेश का अनुपालन करने अथवा आदेश के विरूद्ध विशेष अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय मत स्थिर कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए, समय से मा0 न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय अथवा असमन्जस की स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उत्पन्न न हो।

3. यदि किसी प्रकरण में मा0 न्यायालय में आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन न होने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के स्वंय उपस्थित होने के आदेश दिये जाते है अथवा अवमानना नोटिस जारी किये जाते है, तो ऐसी स्थिति को विभागीय शिथिलता अथवा अकर्मण्यता मानते हुए अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध यथानियम दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4. अतः कृपया अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित कर दें कि मा0 न्यायालयों में लम्बित रिट याचिकाओं/अवमानना वादों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय तथा सभी नागर निकायों में अपने–अपने यहां लम्बित रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं में समयबद्व रूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय। सभी नागर निकाय दिनांक 10.10.2012 को इस आशय की सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध करायेंगे कि उनकी नागर निकाय में दिनांक 31.8.2012 तक प्राप्त होने वाली सभी रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है एवं दिनांक 31.8.2012 तक उनकी निकाय में प्राप्त होने वाली किसी भी रिट याचिका/अवमानना याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष नहीं है। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की शिथिलता अथवा अकर्मण्यता मानते हुए उसके विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. अतः कृपया तद्नुसार मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में अग्रिम कार्यवाही समयबद्व रूप से सुनिश्चित कराते हुए, मा0 न्यायालय को वस्तुस्थिति से समयान्तर्गत अवगत कराया जाय ताकि किसी प्रकार की अप्रिय अथवा

G.O.-r

असमन्जसपूर्ण स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उत्पन्न न हो तथा जिन मामलों में मा0 न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना नोटिस जारी किये गये है, उन मामलों में शिथिलता अथवा अकर्मण्यता बरतने वाले अधिकारी के विरूद्ध परीक्षणोपरान्त यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-वी0आई0पी0 23 /9--8--2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित :--

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)
3. समस्त प्रभारी अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, नगर विकास विभाग/सूडा/गंगासेल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया विभाग से सम्बन्धित अवमाननावादों की समयबद्ध रूप से समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ले ताकि कोई अप्रिय अथवा असमंजस की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। विफलता की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की शिथिलता अथवा अकर्मण्यता मानते हुए यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव,/निजी सचिव, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(यशवन्त राव)
विशेष सचिव